15-

(18)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश - केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :2012 निगरानी — 2354-I/12

1- बद्रीलाल पिता अमृतलालजी पाटीदार
2- अनोखीलाल पिता [redacted]लालजी पाटीदार
3- नानालाल पिता [redacted]लालजी पाटीदार
4- बंकट पिता [redacted]लालजी पाटीदार
5- हरिश पिता [redacted]लालजी पाटीदार
समस्त निवासीगण ग्राम नोगांवा जागीर [redacted]
[redacted] जिला रतलाम -----आवेदकगण

श्री राजेन्द्र उपाध्याय अभि० द्वारा आज दि 18.7.12 को प्रस्तुत

18-7-12

विरूद्ध

शान्तिलाल पिता रा[redacted]जी पाटीदार
निवासी ग्राम नोगांवा जागीर तहसील [redacted]
जिला रतलाम -----अनावेदक

23.7.12

अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 35 :निगरानी 2011-12 मे पारित आदेश - दिनांक 12-7-2012 से असन्तुष्ट एवम परिवेदित होकर - निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भु०रा० संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यो व आधारो पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नोगांवा जागीर मे - प्रतिप्रार्थी के स्वामित्व एवम आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वेक्रमांक 171:2 रकबा 9-830 हेक्टेयर स्थित है ।उक्त भूमि की पुर्व दिशा मे प्रतिप्रार्थीगण की भूमि स्थित है तथा प्रतिप्रार्थी ।प्रार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 131 म०प्र० भु०राजस्व संहिता का इस आशय का -

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2354-एक/12 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र उपाध्याय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	